सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1935 शकाब्द

संख्या 365 राँची, सोमवार 10 जून, 2013

परिवहन विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2010

संख्या 631––जी.एस.आर. 3927 / (मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 के साथ पठित) भारत के संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 के साथ पठित झारखण्ड के राज्यपाल मोटर यान निरीक्षक की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते)

नियमावली, 2010

भाग – 1

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :–**

(क) इस नियमावली को झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्त्ते) नियमावली 2010 कहा जायेगा ।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ग) यह झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाएँ** :– जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हों, इस नियमावली में

(क) ''नियुक्ति पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य परिवहन आयुक्त,

(ख) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग । संवर्ग के सदस्य भी तदनुसार परिभाषित किये जायेंगे ।

(ग) ''आयोग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।

(घ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार का परिवहन विभाग,

(ड.) ''सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार,

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल,

(छ) ''राज्य परिवहन आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में इस मद पर अधिसूचना के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी :

(ज) ''संवर्ग के सदस्य'' से अभिप्रेत है झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के किसी पद पर नियुक्त या सेवारत या इस नियमावली के आरंभ के पूर्व मोटर यान निरीक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्ति ।

3. **संवर्गीय संरचना** – यह संवर्ग परिवहन विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगा ।

(क) झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग में प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जायेगी ।

(ख) संवर्ग संरचना निम्नवत होगी :–

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान	पद बल की संख्या
01.	मोटरयान निरीक्षक	PB-II, 9300-34800 Grade Pay - 4200	60% (संवर्ग के कुल स्वीकृत बल का)
01.	वरीय मोटरयान निरीक्षक	PB-II, 9300-34800 Grade Pay - 4800	30% (संवर्ग के कुल स्वीकृत बल का)
01.	जिला परिवहन पदाधिकारी	PB-II, 9300-34800 Grade Pay -5400	10% (संवर्ग के कुल स्वीकृत बल का)

राज्य सरकार समय–समय पर, संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या या किसी कोटि के पदों की संख्या में कमी, अतिरिक्त अस्थायी / स्थायी पदों के सृजन, पदों को स्थगित रखने अथवा पदों को रिक्त रखने का आदेश दे सकेगी जिसके लिए कोई पदधारक किसी तरह का दावा नहीं कर सकेगा ।

भाग – 2

नियुक्ति एवं अर्हताएँ

4. **अर्हताएँ** – संवर्ग में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति के लिए मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा–213(4) S.O. - 443(E), दिनांक 12 जून, 1989, के अनुसार अभ्यार्थियों की निम्नलिखित अर्हताएँ होगी :–

(क) शैक्षणिक अर्हताएँ –

(I) झारखण्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में विज्ञान के साथ मैट्रिक या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एडुकेशन या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड / पर्षद की समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता ।

(II) झारखण्ड राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् या अन्य किसी राज्य के तकनीकि शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाईल अभियंत्रण या यांत्रिक अभियंत्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष डिप्लोमा ।

(ख) अनुभव – डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत निबंधित किसी वृहत ऑटोमोबाईल अभियंत्रण कर्मशाला, जो डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के मोटर वाहन, भारी मालवाहक या यात्री वाहनों की मरम्मती कार्य में संलग्न हो, में मरम्मति, ओभर होलिंग एवं निरीक्षण का न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवहारिक कार्य अनुभव ।

(ग) अन्य – अभ्यर्थी के पास मोटर साइकिल, भारी मालवाहक एवं भारी यात्री मोटर वाहन चलाने का वैध लाईसेन्स ।

5. **आयु** – सीधी भर्त्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम 21 वर्ष तथा सामान्य वर्ग के लिए अधिकत्तम 35 वर्ष, ओ0बी0सी0 के लिए तथा एसी0सी0 / एस0टी0 के लिए अधिकत्तम 45 वर्ष अथवा सरकार द्वारा समय–समय पर अनुदेशो के अनुरूप निर्धारित आयु की सीमा।

नोटः– किसी अभ्यर्थी की आयु निर्धारित करने हेतु प्रवेशिकार्त्तीण प्रमाण –पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को आधार माना जाएगा ।

6. **चरित्र** – अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से योग्य हो । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

7. **शारीरिक योग्यता** – अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए, और किन्ही ऐसे सभी शारीरिक अपंगता या अनुवांशिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिससे कि उनके कर्त्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा होने की संभावना नहीं हो ।

8. **रिक्तियों का अवधारण** –

(क) प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की 31 दिसम्बर को पद सृजन/सेवानिवृत्त/संवर्गीय सदस्यों के मृत्यु आदि की स्थिति में रिक्त पद से विनिश्चित किये जायेंगे ।

(ख) नियुक्ति पदाधिकारी वर्ष के दौरान भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और तत्समय सीधी भर्त्ती के लिए प्रवृत आरक्षण अधिनियम–नियमावली/संकल्पों/अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों की संख्या दर्शायेगा ।

9. **रिक्तियों की सूचना** – प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को नियुक्ति पदाधिकारी नियम 8 के अंतर्गत सीधी भर्त्ती हेतु आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या आयोग को विहित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करेगा ।

10. **रिक्तियों का प्रकाशन** – सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् आयोग उसे ऐसी रीति से विज्ञापित करेगा अथवा जैसा कि करवायेगा वह उचित समझेगा ।

11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन** – आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा ।

भाग – 3

प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्त्ती

12. **सीधी भर्त्ती** – संवर्ग में सीधी भर्ती केवल मोटर यान निरीक्षक के पद पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग झारखण्ड की अनुशंसा पर की जायगी ।

13. **लिखित परीक्षा**

लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी जो निम्नवत् होंगे –

(i) सामान्य ज्ञान : अवधि 1 घंटा : कुल अंक : 50

सामान्य ज्ञान विषय में देश–विदेश की समसामयिक घटनाओं, झारखण्ड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान, मोटरवाहन एक्ट/मोटरवाहन रूल्स से संबंधित तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातें सम्मिलित होगी, जिसके ज्ञान की किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।

(ii) ऑटोमोबाईल अभियंत्रण या मेकेनिकल अभियंत्रण के विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी

: अवधि 2 घंटा कुल अंक : 100

ऑटोमोबाईल अभियंत्रण या मेकेनिकल अभियंत्रण से संबंधित विषयों पर लिखित परीक्षा ली जाएगी इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेगे ।

(iii) गणित : अवधि 1 घंटा कुल अंक : 50

प्रश्न पत्र इस प्रकार निरूपित किया जायेगा जिससे अभ्यर्थी की गणितीय ज्ञान एवं क्षमता का पता चल सके । प्रश्न –पत्र का स्तर मैट्रिक स्तर का होगा ।

तीनो विषयों के लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत (प्रत्येक विषय में) एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत (प्रत्येक विषय में) प्राप्तांक लाना अनिवार्य होगा ।

14. **आयोग द्वारा अनुशंसा** – लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग एक मेधा सूची तैयार करेगा । मेधा सूची का आधार लिखित परीक्षा में प्राप्तांक होगा । तत्पश्चात् आयोग रिक्तियों की संख्या और आरक्षण अनुरूप कोटि–वार अंतिम मेधा सूची तैयार कर, अधियाचित संख्या के अनुसार उतनी संख्या में नियुक्ति हेतु

पदाधिकारियों की सूची अग्रसारित करेगा जितनी संख्या में उनकी माँग की गई हो ।

टिप्पणी–(I) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में उपर रखा जायगा ।

(II) नियुक्ति पदाधिकारी अभ्यर्थी के नियुक्ति हेतु उपलब्ध न होने या नियुक्ति हेतु अयोग्य हो जाने की स्थिति में मेधा क्रम से अतिरिक्त नामो की अनुशंसा करने के लिये आयोग से अनुरोध कर सकेगा ।

15. **नियुक्ति** – आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, नियुक्ति पदाधिकारी ऐसा सत्यापन एवं ऐसी जांच, जो वह सम्यक और उचित समझे, करने के पश्चात् उन्हें मोटर यान निरीक्षक के पद पर नियुक्त करेगा ।

भाग – 4

प्रोन्नति

16. **प्रोन्नति का पद सोपान** – **(क)** झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग के मोटरयान निरीक्षक कोटि पद से वरीय मोटरयान निरीक्षक एवं जिला परिवहन पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड जो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है) के पदों पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

(ख) कुल स्वीकृत पदों में से 30 प्रतिशत पद वरीय मोटरयान निरीक्षक के लिए कर्णाकित कर रखे जायेंगे ।

(ग) कुल स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत पदों को वरीय मोटरयान निरीक्षको को जिला परिवहन पदाधिकारी के पदपर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के माध्यम से भरा जा सकेगा ।

(घ) वरीय मोटरयान निरीक्षक का पद अराजपत्रित श्रेणी के होंगे ।

17. **प्रोन्नति हेतु कालावधि** – प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा ग्रेड वेतन पर आधारित कालावधि रखा जायेगा ।

18. **प्रोन्नति की प्रकिया** – **(क)** मोटरयान निरीक्षक के कोटि पद से वरीय मोटरयान निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा निम्न रूप से गठित समिति द्वारा की जायगी ।

1. राज्य परिवहन आयुक्त – अध्यक्ष

2. परिवहन विभाग के उप सचिव के अन्यून पंक्ति के एक पदाधिकारी — सदस्य

3. संयुक्त परिवहन आयुक्त — सदस्य

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित एक पदाधिकारी — सदस्य

5. वित्त विभाग द्वारा नामित — सदस्य

(ख) वरीय मोटरयान निरीक्षक के पद से जिला परिवहन पदाधिकारी (बेसिक ग्रेड) के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा करने के लिये समिति का गठन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–5161, दिनांक 25 सितम्बर, 2008, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

भाग – 5

परिवीक्षा एवं सम्पुष्टि

19. **परिवीक्षा –**

(I) संवर्ग में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा जो उसकी नियुक्ति की तिथि से आरंभ होगी ।

(II) नियुक्ति पदाधिकारी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से,व्यक्तिगत मामलों में परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकेंगे, परन्तु एक वर्ष से अधिक के लिए इसे विस्तारित नहीं किया जा सकेगा ।

(III) यदि परिवीक्षा कालावधि या विस्तारित परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, किसी भी समय, नियुक्ति पदाधिकारी को यह समाधान हो जाय कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है या उसने राज्य सरकार द्वारा विहित कोई प्रशिक्षण सफलतापूवर्क पूरा नहीं किया है तो उसकी सेवा, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, समाप्त कर दी जायगी ।

(IV) परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवा उप–नियम–III के अधीन समाप्त कर दी गई हो, किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा ।

20. **प्रशिक्षण** – सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी को समय–समय पर ऐसे संस्थान या संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजा जा सकेगा जैसा वह उचित समझे । यह प्रशिक्षण संस्थागत एवं छः माह के लिए होगा ।

21. **संपुष्टि** – परिवीक्षाधीन व्यक्ति की नियुक्ति परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर संपुष्ट कर दी जायेगी यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद पाया गया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गई हो,

(ग) नियुक्ति पदाधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह संपुष्टीकरण के लिए अन्यथा

अयोग्य नहीं है ।

(घ) वह विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है ।

भाग – 6

विविध

22. **आरक्षण** – सीधी नियुक्ति और प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर लागू आरक्षण के अधिनियम / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान पूर्णतः लागू होंगे ।

23. **पारस्परिक वरीयता** :–

(क) इस नियमावली के अधीन मूल कोटि में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा तैयार की गयी मेघा सूची के आधार पर विनिश्चित की जायगी ।

(ख) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व ऐसे पदाधिकारी, जो नियुक्त हो चुके हैं वे इस नियमावली के आरंभ की तिथि से सेवा की मूल कोटि के पद पर नियुक्त एंव सेवा के सदस्य समझे जायेगें और उनकी पारस्परिक वरीयता वही रहेगी जैसा कि उक्त तिथि को थी ।

24. **विभागीय परीक्षा** – संवर्ग के सदस्यों को राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित अंतिम लेखा परीक्षा में उच्च स्तर से उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, मोटरवाहन अधिनियम 1988, बिहार वाहन नियमावली–1992, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली तथा अन्य

संबंधी अधिनियम एवं नियमावली तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित विषयों को परीक्षा में शामिल किया जा सकता हैं, परन्तु यह कि नियमावली के आरंभ की तिथि से दो वर्ष के भीतर संवर्ग के जो सदस्य उक्त परीक्षा में उत्तीण नहीं होगें वे अगली वेतनवृद्धि के हकदार नहीं होंगे न तो वे संपुष्ट और प्रोन्नत किए जाएँगे ।

परन्तु यह भी कि इस नियमावली के आरंभ की तिथि से पूर्व संवर्ग के कोई सदस्य उक्त लेखा परीक्षा में उत्तीणता प्राप्त कर लिए हो तो उन्हें पुनः परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी ।

25. **सामान्य प्रावधानों का लागू होना** – सेवा शर्तो को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति, प्रोन्नति, अनुशासन एवं अपील संबंधी मामलो में राज्य सरकार द्वारा अलग से जारी किए गए सभी प्रावधान, जहाँ तक वे इस नियमावली से असंगत न हो, संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे ।

26. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** – यदि इस नियम के उपबंधों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत नहीं हो ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र सिंह,
सचिव–सह–परिवहन आयुक्त ।

....

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 365--150+100 ।